

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर।

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/ २१८

जयपुर, दिनांक.... २३-६-२०१९....

अध्यक्ष/मन्त्री,

H. N. Patel.....Kewalji Bhatwala / Mr. Sandeep Babbar

Assist. Prof. Dr. S. S. S. - financing university of Rajasthan.

Rajput National University seedling campus Jagatpura Jaipur.

विषय :- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....२५८...../जयपुर.... २००९-१०.....

दिनांक.....२३-६-२१.....संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा ४ व ४(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि संस्था द्वारा धारा ४ व ४(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदारी होगी।

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... २५० जयपुर/2009-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि Association of self-financing universities of Rajasthan Jaipur, जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक..... २३ माह..... June सन् दो हजार..... 2009.....

को जयपुर में किया गया।

वी. के. वर्मा
संस्थानी प्रबन्धक
संस्थान, जयपुर



मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417